



# प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

## आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रयागराज की आवंटित सम्पत्तियों के ऐसे आवंटी जिनके द्वारा नियमित किस्तों की अदायगी नहीं की गयी है। उन्हें ब्याज में छूट प्रदान करने हेतु ओ.टी.एस. स्कीम दिनांक 05.06.2020 तक शासन द्वारा दी गयी थी। कोविड-19 महामारी एवं जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत शासन द्वारा एक मुस्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) को दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ा दिया गया है। कृपया उक्त सुविधा का लाभ उठायें।

सचिव

प्रयागराज विकास प्राधिकरण

प्रयागराज